तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/2538/2005/जयपुर** **कानारामू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-12-20	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **<u>उपस्थितिः–</u>** श्री रमेश गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष की ओर से राज0 उप अधिवक्ता **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 102/2004 शीर्षक "कानाराम बनाम सरकार" में पारित निर्णय दिनांक 11–1–2005 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वन खण्ड वन खण्ड बडी लाइन सी प्लाण्टेशन ज्ञानपुरा खसरा नम्बर 112 की 20 बीघा भूमि पर कानाराम पुत्र नारायण द्वारा अतिक्रमण किया जाना मानते हुये सहायक वन संरक्षक, जयपुर (पश्चिम) ने निर्णय दिनांक 6–3–2002 से प्रश्नगत आराजी से अतिक्रमी को बेदखल करने और भूमि का कब्जा एक माह में लेने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अति0 कलक्टर, कोटपुतली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर अति0 कलक्टर, कोटपुतली ने निर्णय दिनांक 15.6.2004 से अपील को खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–1–2005 से अपील को खारिज किया गया है, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस निगरानी के ग्राह्यता व स्थगन पर सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से यही अभिकथन रहा है कि खसरा नम्बर 488 का साबिक खसरा नम्बर 102–2/1 है जो कि प्रार्थी के पूर्वजों के समय से ही खातेदारी में चला आ रहा है, इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं किया है। तहसीलदार, विराटनगर ने अपनी सीमा ज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.7.1991 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि है और सीमा ज्ञान रिपोर्ट वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है। भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी भूमि से बेदखल किए जाने का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2538 / 2005 / जयपुर** **कानाराम् बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कोई प्रावधान नहीं है, इस बिन्दु को भी अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश हैं। अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया जाए। अप्रार्थी राज्य पक्ष के योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग की भूमि है और प्रार्थी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है कि यह आराजी कभी उसकी खातेदारी की भूमि रही है। अधीनस्थ सभी न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष लेते हुये निर्णय पारित किये हैं और निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये इन समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप निगरानी के माध्यम से उचित नहीं है। निगरानी में किसी प्रकार का सार नहीं होने से खारिज की जाए। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन-अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन खण्ड वन खण्ड बडी लाइन सी प्लाण्टेशन ज्ञानपुरा दौलाज के खसरा नम्बर 112 की 20 बीघा भूमि पर कानाराम पुत्र नारायण द्वारा अतिक्रमण किया जाना मानते हुये सहायक वन संरक्षक, जयपुर (पश्चिम) ने निर्णय दिनांक 6-3-2002 से प्रश्नगत आराजी से अतिक्रमी को बेदखल करने और भूमि का कब्जा एक माह में लेने का आदेश पारित किया है। प्रार्थी पक्ष का मुख्य रुप से यही उज्र रहा है कि प्रश्नगत भूमि उसके पूर्वजों की खातेदारी की भूमि रही है जब कि इस सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार का राजस्व रेकार्ड किसी स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि के मालिकाना हक के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और कार्यालय के सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 कलक्टर ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि नक्शा ट्रैस, नक्शा लठ्ठा, साबिक व हाल रिकार्ड में स्पष्ट रुप से यह भूमि वन विभाग की भूमि दर्ज है और वन विभाग की आरक्षित भूमि रिकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायलय ने भी अपने निर्णय में इसी आशय का मत लेते हुये स्पष्ट अंकित किया है कि विचारण न्यायालय में स्वयं गैर सायल ने अपने बयानों में कथन किया है कि खातेदरी उसके चाचा हरसहाय के नाम दर्ज है, उसके नाम कोई खातेदारी भूमि दर्ज नहीं है। वन क्षेत्र की भूमि में काश्त कर मॅूग, मोठ, बाजरा बोया था, जिसको 10-11 दिन पहले ही काट लिया था। फलतः प्रकरण में निहित तथ्यों को देखते हुये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2538 / 2005 / जयपुर** **कानारामू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का परीक्षण करने व अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि स्वयंय की खातेदारी की भूमि होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का रेकार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष लेते हुये जो निर्णय पारित किए हैं उनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है और निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये निगरानी के माध्यम से इन समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालयों का सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार वापिस भिजवाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	